न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 185/2011

वादीगण :-

1. रावतराम पुत्र उमाराम
   जाति-मेघवाल,निवासी-धनेड़ी
   तहसील-सोजतसिटी
2. भंवरलाल पुत्र भोपाल
   जाति-बावरी,बोयल
   तहसील-सोजटसिटी
3. मोहनलाल पुत्र हीराराम,
   जाति-सरगरा,निवासी-गिरी
   तहसील-रायपुर
4. पेमाराम पुत्र हजारी

जाति-मेघवाल, निवासी-बस्सी
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पोकरराम पुत्र कानाराम
   जाति-मेघवाल,निवासी-राजादण्ड
2. रूपाराम पुत्र गोकुलराम
   जाति-मेघवाल,निवासी-झांझनवास
3. मंगलाराम पुत्र भूराजी
4. ओगड़राम भूराजी
   जातियान-मेघवाल,निवासी-झांझनवास
5. मोहनलाल पुत्र ओगड़राम
6. मल्लाराम पुत्र ओगड़राम
   जातियान-सीरवी,निवासी-झांझनवास
7. धापूकंवर बेवा कन्हैयालाल
8. रिखबचन्द पुत्र कन्हैयालाल
9. गौतमचन्द पुत्र कन्हैयालाल

जातियान-जैन,निवासी-झांझनवास
तह0-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

10. गोकुल पुत्र मिश्रीलाल
    जाति-मेघवाल,निवासी-बिराटियाखुर्द
    तह0-रायपुर, जिला-पाली(राज.)
11. श्रवणलाल पुत्र हरिराम
    जाति-ढ़ोली, निवासी-बिड़कियावास
    (पीसांगन)
12. बिदकी पत्नि ढगलाराम
    जाति-मेघवाल,निवासी-झांझनवास
13. हुलासी पत्नि ढगलाराम
    जाति-मेघवाल,निवासी-झांझनवास
14. सोहनलाल पुत्र घेवरराम
    जाति-मेघवाल, निवासी-भींच (लूणी)
15. पुखराज पुत्र उदाराम मेघवाल,
    निवासी-आसरन जिलेलाव
    तहसील-रायपुर, जिला-पाली
16. पांचूदेवी पत्नि सोहनलाल
    जाति-मेघवाल, निवासी-बिलाड़ा
    तहसील-बिलाड़ा, जिला-जोधपुर
17. हुकमाराम पुत्र चोलाराम
    जाति-मेघवाल,निवासी-करमावास
    पट्टा सोजत, जिला-पाली
18. श्रवणलाल पुत्र रूपाराम
    जाति-मेघवाल,निवासी-झांझनवास
19. राजूराम पुत्र जोगाराम
    जाति-नट,निवासी-झांझनवास
    तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
20. तहसीलदार, जैतारण
    तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः.10.08.2011

उपस्थितः. 1. श्री मदनलाल लक्कार, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री चावण्डदान बारहठ एवं श्री ओगड़राम, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 02/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-झांझनवास, पटवार हल्का-पाटवा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 220 रकबा 55-19 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 219 रकबा 16-14 बीघा किस्म चा0प्र0, कुल किता-2 कुल रकबा 72-13 बीघा की कृषि भूमि आई हुई हैं। नकल जमाबन्दी प्रमाणित व ट्रेस नक्शा साथ पेश किया हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की जमीन का मौके पर बंटवाड़ा हो रखा हैं, जिसका नजरी नक्शा साथ पेश किया हैं, जिसे दावे का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादीगण ने नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार अपनी जमीन पर काबिज हैं व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की जमीन पर काबिज हैं व वक्त खरीद से व उसके पहले तत्कालिन खातेदार इस जमीन पर काबिज होकर जमीन का उपयोग / उपभोग बहैसियत मालिक करते रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि अपने-अपने कब्जे अनुसार अपनी-अपनी जमीन का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस राजस्व रेकर्ड में करवा देते हैं, जिसे जमीन पर ऋण आदि लेने में व जमीन को अधिक उपजाऊ व समतल बनाने में किसी भी प्रकार की सराकरी सहायता राशि प्राप्त की जा सकें, पहले तो प्रतिवादीगण जमीन का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने को तैयार थे। लेकिन लम्बे समय से टालम-टोल करने से व सभी पक्षकार एक साथ उपस्थित नहीं रहने से जमीन का बंटवाड़ा नहीं करवा सकें। वादीगण ने दिनांक 10/07/11 को प्रतिवादीगण को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने पर सहमत नहीं होने के कारण वादीगण की ओर से यह वाद बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने हेतु खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादीगण माफिक नजरी नक्शे अपने खातेदारी खरीद सुदा जमीन पर काबिज हैं व उसी के अनुसार बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। गै0सा0 संख्या 12 राज्य सरकार के अधिकारी हैं, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। लेकिन नोटिस की अवधि तक इन्तजार करने में वादी को असीम क्षति व भारी नुकशान होता हैं। लिहाजा न्यायालय की अनुमति से यह वाद पेश किया जा रहा हैं। अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 10/07/2011 को प्रतिवादीगण द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करने से सहमत नहीं होने व ईन्कार करने पर बमुकाम-झांझनवास, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार व हक अख्तियार का हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-पाटवा में पेश हुई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 7 से 11 को समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में सम्मन साया किया गया। बावजूद सम्मन साया के उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 एवं 12 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र 06 नियम 17 सीपीसी संशोधित टाईटल मय वकालतनामा पेश किया हैं। वादी का प्रार्थना पत्र 06 नियम 17 सीपीसी का स्वीकार किया जाता हैं। प्रति0 संख्या 12 से 19 को रेकर्ड पर लिया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारान् बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करना चाहते हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया कि पक्षकारान् में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा / तकासमा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने आज ही मौके पर बंटवाड़ा फर्द मौका रिपोर्ट पक्षकारान् के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तहसीलदार, जैतारण द्वारा किया गया है। प्रार्थना पत्र वादी का 06 नियम 17 सीपीसी का स्वीकार करने से वाद में डिक्री जारी किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–झांझनवास, पटवार हल्का–पाटवा, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 220 रकबा 55–19 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 219 रकबा 16–14 बीघा किस्म चा0प्र0, कुल खसरा नम्बर–2 कुल रकबा 72–13 बीघा की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया उसके अनुसार रावतराम को खसरा नम्बर 220/8 रकबा 11 बिस्वा, भंवरलाल को खसरा नम्बर 220/15 रकबा 2–01 बीघा, मोहनलाल को खसरा नम्बर 219/3 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 220/13 रकबा 13 बिस्वा, पेमाराम को खसरा नम्बर 219/6 रकबा 10 बिस्वा, रूपाराम को खसरा नम्बर 220/11 1–01 बीघा, मंगलाराम को खसरा नम्बर 220/1 रकबा 1–08 बीघा, ओगड़राम को खसरा नम्बर 219 रकबा 10–02 बीघा, गोकल को खसरा नम्बर 220/19 रकबा 10 बिस्वा, श्रवणलाल को खसरा नम्बर 219/1 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 220/4 रकबा 2–01 बीघा, बिदामी को खसरा नम्बर 219/2 रकबा 1–01 बीघा, हुलासी को खसरा नम्बर 220/10 रकबा 16 बिस्वा, सोहनराम को खसरा नम्बर 219/5 रकबा 10 बिस्वा, पुखराज को खसरा नम्बर 220/13 रकबा 10 बिस्वा, पांचूदेवी को खसरा नम्बर 220/2 रकबा 1–00 बीघा, श्रवणलाल को खसरा नम्बर 220/3 रकबा 1–10 बीघा, हुकमाराम को खसरा नम्बर 220/5 रकबा 1–02 बीघा, राजूराम को खसरा नम्बर 220/6 रकबा 1–00 बीघा, लीला पत्नि ढगलाराम सीरवी, सोहनी पत्नि मांगीलाल सीरवी के खसरा नम्बर 219/8 में 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 220/16 में 33 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। फर्द मौका निर्णय का एक भाग माना जावें। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की छाया प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 02/6/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner